भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2353

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ

2353. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित होने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है, और त्रिपुरा सहित प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत प्रति वर्ष टीका लगाए गए शिशुओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं/तंत्र क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) त्रिपुरा सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की संख्या **अनुलग्नक I** और II में दी गई है।
(ख) केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत प्रति वर्ष टीकाकृत शिशुओं की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** III में दी गई है।
(ग) भारत सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए, सरकार समय-समय पर क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित करती है। भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख कार्रवाई निम्नलिखित हैं:

• राज्य सरकारों के साथ पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित कई माध्यमों से संवाद।

• जनसंचार माध्यमों सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार।

• एएनएम, आशा और सीएचओ जैसे क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता अंतरवैयक्तिक संचार के माध्यम से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार कर रहे हैं।

• योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की प्रणाली लागू है।

दिनांक 13.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जेएसएसके के तहत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद की माताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	**भारत**	**3118466**
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1479
3.	आंध्र प्रदेश	21872
4.	अरुणाचल प्रदेश	4213
5.	असम	201535
6.	बिहार	167059
7.	चंडीगढ़	1443
8.	छत्तीसगढ	99346
9.	दिल्ली	767
10.	गोवा	2244
11.	गुजरात	153115
12.	हरियाणा	76192
13.	हिमाचल प्रदेश	3117
14.	जम्मू और कश्मीर	23764
15.	झारखंड	36912
16.	कर्नाटक	71664
17.	केरल	2667
18.	लद्दाख	321
19.	लक्षद्वीप	187
20.	मध्य प्रदेश	216652
21.	महाराष्ट्र	493790
22.	मणिपुर	5942

23.	मेघालय	61986
24.	मिजोरम	1437
25.	नागालैंड	1171
26.	ओडिशा	67400
27.	पुदुचेरी	179
28.	पंजाब	31603
29.	राजस्थान	52346
30.	सिक्किम	746
31.	तमिलनाडु	547370
32.	तेलंगाना	6405
33.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	97
34.	त्रिपुरा	7942
35.	उत्तराखंड	16767
36.	उत्तर प्रदेश	702832
37.	पश्चिम बंगाल	35904

स्रोत: एचएमआईएस पोर्टल पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े

दिनांक 13.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - II

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	220
2	आंध्र प्रदेश	2,16,235
3	अरुणाचल प्रदेश	15,422
4	असम	3,36,999
5	बिहार	12,97,892
6	चंडीगढ़	268
7	छत्तीसगढ	3,48,414
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	2,147
9	दिल्ली	5,200
10	गोवा	592
11	गुजरात	1,23,259
12	हरियाणा	36,666
13	हिमाचल प्रदेश	10,825
14	जम्मू और कश्मीर	1,43,783
15	झारखंड	4,56,708
16	कर्नाटक	3,37,030
17	केरल	61,447
18	लद्दाख	3,267
19	लक्षद्वीप	1,449
20	मध्य प्रदेश	9,28,552
21	महाराष्ट्र	3,47,926
22	मणिपुर	13,168

23	मेघालय	17,834
24	मिजोरम	6,144
25	नागालैंड	13,548
26	ओडिशा	3,75,315
27	पुदुचेरी	5,455
28	पंजाब	48,934
29	राजस्थान	9,08,678
30	सिक्किम	2,838
31	तमिलनाडु	4,04,083
32	तेलंगाना	2,44,466
33	त्रिपुरा	15,898
34	उत्तर प्रदेश	24,38,662
35	उत्तराखंड	69,326
36	पश्चिम बंगाल	3,76,675

स्रोत: राज्यों की रिपोर्ट

दिनांक 13.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - III

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025-दिसंबर 2025) में राज्य/संघ राज्यवार पूर्ण टीकाकरण कवरेज		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पूर्ण टीकाकरण कवरेज %**
1	**अखिल भारतीय**	**98.7**
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	98.0
3	आंध्र प्रदेश	107.0
4	अरुणाचल प्रदेश	84.8
5	असम	81.1
6	बिहार	101.1
7	चंडीगढ़	111.1
8	छत्तीसगढ	89.2
9	दिल्ली	98.3
10	गोवा	98.2
11	गुजरात	101.4
12	हरियाणा	104.6
13	हिमाचल प्रदेश	100.8
14	जम्मू एवं कश्मीर	105.5
15	झारखंड	95.3
16	कर्नाटक	104.0
17	केरल	109.4
18	लद्दाख	103.9
19	लक्षद्वीप	123.4
20	मध्य प्रदेश	102.3
21	महाराष्ट्र	99.7
22	मणिपुर	100.1
23	मेघालय	86.5

24	मिजोरम	78.6
25	नागालैंड	77.2
26	ओडिशा	97.5
27	पुदुचेरी	101.2
28	पंजाब	103.5
29	राजस्थान	90.6
30	सिक्किम	94.2
31	तमिलनाडु	94.2
32	तेलंगाना	124.7
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	85.3
34	त्रिपुरा	96.0
35	उत्तराखंड	98.1
36	उत्तर प्रदेश	98.1
37	पश्चिम बंगाल	92.7

स्रोत: दिनांक 22-01-26 तक की स्थिति के अनुसार एचएमआईएस पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े।